



डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ  
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow  
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 826 / फा0सं0-499 / एच0ओ0डी0 / डी0एस0एम0एन0आर0यू0 / 2018-19

दिनांक: 24.08.2018

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा-5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं मा0 कार्य परिषद की अठारहवीं बैठक दिनांक 16.03.2018 के कार्यवृत्त पत्रांक: 2132/फा0सं0-36(पंचम)/कार्य परिषद/2018-19 दिनांक 30 मार्च, 2018 के बिन्दु संख्या 12/19 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकवृन्द को तालिका में नाम के सम्मुख निम्नानुसार 03 वर्ष हेतु विभागाध्यक्ष इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से नियुक्त किये जाने का निदेश हुआ है-

| क्र.सं. | विभाग का नाम                    | नियुक्ति / नामित विभागाध्यक्ष                           |
|---------|---------------------------------|---|
| 1.      | अंग्रेजी                        | डॉ0 विपिन कुमार पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी     |
| 2.      | इतिहास                          | डॉ0 मल्लिका सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास           |
| 3.      | राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन | डॉ0 ममता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र         |
| 4.      | प्रबन्धशास्त्र                  | डॉ0 पांचाली सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र      |
| 5.      | वाणिज्य                         | डॉ0 संजीव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य             |
| 6.      | ललित कला                        | श्री राजेन्द्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला       |
| 7.      | दृष्टि बाधितार्थ                | डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दृष्टि बाधितार्थ |
| 8.      | श्रवण बाधितार्थ                 | डॉ0 कौशल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, श्रवण बाधितार्थ       |

इन विभागाध्यक्षों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने-अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

उर्पयुक्तानुसार विभागाध्यक्षों का कार्यकाल इस कार्यालय आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा। इस दायित्व के लिए विभागाध्यक्षों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक/परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. सम्बन्धित एसोसिएट प्रोफेसरगण, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की वेबसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)  
कुलसचिव